

**फदे अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत ..... सिकराय .....

दोनासिंह सरकार बनाम ..... राजपूर कोट

किस्म मुकदमा 128 L.R. नं. मु० नं० 04/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/03/19	<p>अचिवस्ता पुनीत शर्मा के प्रापत्र 128 L.R. नं. पेश किया जिसे जज रजिस्टर किया गया। पत्रावली लोक अदालत ईम्प धूमण में पेश हुई। पैरो कार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का रिवीज्मन किया व वहीत का मनन किया। पत्रावली पत्र उपलब्ध नरल जभावरी से विवादित भूमी वाली। प्रार्थी ही लाते डारी भूमि होना (साबित है) वारी। प्रार्थी अपनी उक्त लाते डारी भूमि की फ्लर गरी कराना चाहते हैं। मामलित में उक्त भूमि का विभाजन करके फ्लर गरी कराना जाना उचित प्रतीत होगा है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रापत्र 128 L.R. नं. (कीका) किया जाता है तथा विवादी भूमि (ख० न० 407 408 वार्ड रामा रागौली तहसील सिकराय जिला) के निपमापुल्ल शुरुक लेकर सीमास्तान कावा का फ्लर गरी दिये जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते हैं। पत्रावली फेराल दुआ होमा नम्बर से कम है।</p>	

उपस्थित अधिकारी  
सिकराय थिना-बोसा